कोर्ट फी 10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

नि -1618-PBR-16

निगरानी प्रकरण क्र. : ..../2016

प्रस्तुति दिनांक : ...18../05/2016

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में

1. देवेन्द्र पिता श्री प्रभुलाल बिरारी
2. प्रभुलाल पिता श्री गेंदालाल बिरारी

दोनो निवासी-ग्राम बलवाडी तहसील व

जिल खरगोन (म.प्र.) ....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. भगवान पिता श्री छीतर यादव
2. कैलाश पिता श्री भगवान यादव
3. यशवंत पिता श्री भगवान यादव

तीनों निवासी- ग्राम बलवाडी तहसील व

जिल खरगोन (म.प्र.) ....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील खरगोन के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 2/अ-13/2014-15 में दिनांक 24/03/2016 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

R 1618 PBR 11 6 (2क्रमांक)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
22.6.2016	आवेदकगण की ओर से श्री योगेश वर्मा अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.3.2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि संहिता की धारा 131 में पारंपरिक रास्ता एवं एक मात्र रास्ता है, अथवा नहीं देखा जाना है। आवेदकगण की ओर से ठोस आधार नहीं दर्शाया गया है कि आवेदन पत्र इसी स्तर ही निरस्त किया जावे। आवेदकगण के अभिभाषक तर्क के दौरान यह नहीं बतला सके कि आवेदकगण तहसीलदार के आदेश से किस प्रकार व्यथित हैं। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।	(हस्ताक्षर) 22/6/16
	(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

शासकीय मुद्रणालय—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.